Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 216-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 27, 2018 (PAUSA 6, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 27th December, 2018

No. 43-HLA of 2018/75/27125.— The Haryana Municipal Corporation (Third Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 43- HLA of 2018

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (THIRD AMENDMENT) BILL, 2018

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Third Amendment) Act, 2018.

Amendment of section 3 of Haryana Act 16 of 1994.

2. In sub-section (2) of section 3 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act),-

(i) in the proviso, after the words "unless the", the word "existing" shall be inserted; and

(ii) after the proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:-

'Explanation.- "existing population" means the population projected for the year in which the constitution of the Corporation is being considered as per the following formula, namely:-

$EP = P \times (1+AGR/100)^n$; where-

(i) EP- refers to existing population;

(ii) P - refers to the population defined in clause (45) of section 2;

(iii) AGR - refers to the annual growth rate in percent obtained from the last decennial census;

(iv) n - refers to the number of years from the last decennial census year to the year in which the constitution of the Corporation is being considered.'.

Insertion of section 3A in Haryana Act 16 of 1994.

3. After section 3 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"3A. Power to abolish Corporation.- (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, abolish any Corporation declared under section 3.

(2) When a notification is issued under sub-section (1) in respect of any Corporation, this Act and all notifications, rules, bye-laws, orders, directions and powers issued, made or conferred under this Act, shall cease to apply to the said Corporation. The balance of the municipal fund and all other property at the time of the issue of the notification vested in the Corporation shall vest in the Government and the liabilities of the Corporation shall be transferred to the Government.

(3) Where any Corporation is abolished under sub-section (1) and subsequently the area comprising the Corporation so abolished is declared to be a Municipal Council or Municipal Committee, the assets and liabilities referred to in sub-section (2) shall vest in the Municipal Council or Municipal Committee from the date of its notification.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. Section 2(45) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 defines the term 'population' as 'population' ascertained in the last preceding census of which the relevant figures have been published. The strict application of the definition sometimes binds the State Government to resort to outdated published figures, which do not reflect the contemporary actual position on the ground. It prevents the State Government from taking into account the contemporaneous growth in the population of an area during the interregnum period between the last census and present, which is not reflected till the time the official census is carried. It also hinders the effective administration of the area, in ways that the State Government considers necessary. The above definition finds its foundation in Article 243P(g) of the Constitution of India, on the basis of which it has been adopted in various State legislations of similar nature. A complete amendment of the same may lead to unnecessary litigation. The Advocate General, Haryana has suggested that the State Government may consider adding an explanation to the specific definition clause empowering the State Government to take into account contemporaneous growth in the population of an area, on cogent evidence, for the purposes of this Act, which would be legally and constitutionally permissible. Therefore, it is proposed that the matter may be considered for taking into account the contemporaneous growth in the population of an area during the interregnum period between the last census, which is not reflected till the time the official census is carried, for declaring a Municipal Corporation in the State by inserting a provision of 'existing population' in the proviso of sub-section 2 of Section 3 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 and to insert the 'explanation' of 'existing population' in the Act.

2. As per the provisions of Section 3 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, Government may, from time to time, by notification, declare any municipality including any area comprising rural area or a part thereof to be a "Corporation" known as the 'Municipal Corporation' having population of 3 lakhs or more after consultation with the Corporation. The Government is also empowered to include or exclude any area therefrom. But, there is no specific provision in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 empowering the State Government to abolish any Municipal Corporation constituted under the Act, similar to the provision contained in section 8 of the Haryana Municipal Act, 1973, which empowers the Government to abolish any Municipality by notification. The Advocate General, Haryana has opined that provisions in this regard may be made in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 by inserting a provision similar to Section 8 of the Haryana Municipal Act, 1973, which empowers the State Government to abolish any Municipal Committee by notification. Therefore, it is proposed that the matter may be considered for making the provisions empowering the State Government to abolish any Municipal Corporation as per requirements, by adding Section 3A after Section 3 in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 27th December, 2018.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2018 का विधेयक संख्या 43-एच०एल०ए०

हरियाणा नगर निगम (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018
हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 3 का संशोधन।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (2) में,–

(i) परन्तुक में, ''जनसंख्या'' शब्द से पूर्व ''वर्तमान'' शब्द रखा जाएगा;

(ii) परन्तुक के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:–

'व्याख्या.– ''वर्तमान जनसंख्या'' से अभिप्राय है, वर्ष, जिसमें निगम का गठन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार सुविचारित किया जा रहा है, के लिए संभावित जनसंख्या, अर्थात्:–

व.ज.= ज.एक्स (1+ वा.वृ.द./100) सं.; जहां–

(i) व.ज.– वर्तमान जनसंख्या को निर्दिष्ट करता है;

(ii) ज.– धारा (2) के खण्ड (45) में परिभाषित जनसंख्या को निर्दिष्ट करता है;

(iii) वा.वृ.द.– अन्तिम दशवार्षिक जनगणना से प्राप्त प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि दर को निर्दिष्ट करता है;

(iv) सं.– अन्तिम दशवार्षिक जनगणना वर्ष से वर्ष, जिसमें निगम का गठन सुविचारित किया जा रहा है, तक के वर्षों की संख्या को निर्दिष्ट करता है ।''।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 में धारा 3 क का रखा जाना ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

''3क. निगम को समाप्त करने की शक्ति.–(1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 3 के अधीन घोषित किसी निगम को समाप्त कर सकती है ।

(2) जब, किसी निगम के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है, इस अधिनियम के अधीन जारी की गई सभी अधिसूचनाएं, बनाए गए नियम, उपविधियां, किए गए आदेश, निदेश तथा प्रदत्त शक्तियां, उक्त निगम को लागू नहीं रहेंगे/रहेंगी। अधिसूचना के जारी करने के समय निगम में निहित नगर निधि का अतिशेष तथा सभी अन्य सम्पत्तियां, सरकार में निहित हो जाएंगी तथा निगम के दायित्व, सरकार को अंतरित हो जाएंगे।

(3) जहां, उप धारा (1) के अधीन कोई निगम समाप्त कर दिया गया है तथा तत्पश्चात् इस प्रकार समाप्त निगम में समाविष्ट क्षेत्र को किसी नगरपालिका परिषद् या नगरपालिका समिति के रूप में घोषित कर दिया जाता है तो उपधारा (2) में निर्दिष्ट आस्तियां तथा दायित्व, इसकी अधिसूचना की तिथि से नगरपालिका परिषद् या नगरपालिका समिति में निहित हो जाएंगे।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 2(45) द्वारा 'जनसंख्या' शब्द को नवीनतम जनगणना के आधार पर प्रकाशित किये गये आकड़ों अनुसार 'जनसंख्या' के रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा लागू करना कभी–कभी राज्य सरकार को पुराने प्रकाशित आंकड़ों को लागू करने के लिये बाध्य करता है, जो जमीनी स्तर पर समकालीन वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता हैं। यह राज्य सरकार को पिछली जनगणना और वर्तमान समय के अन्तराल की अवधि के दौरान किसी क्षेत्र की आबादी में हुई बढ़ौतरी की गणना करने से रोकता है तथा यह सम्बन्धित क्षेत्र के प्रशासन को भी प्रभावित करता है, जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझती है। उक्त परिभाषा को भारत के संविधान की धारा 243पी(जी) के आधार पर विभिन्न राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा समान रूप में अपनाया गया है। इसलिए इसे पूर्ण रूप से संशोधित करना अनावश्यक मुकदमेबाजी को आमन्त्रित करेगा। महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार विशेष खण्ड के रूप में उदाहरण जोड़कर इसे परिभाषित कर सकती है जो राज्य सरकार को सम्बन्धित क्षेत्र में जनगणना के पश्चात जनसंख्या में हुई वृद्धि की गणना करने के उद्देश्य को हल कर सकती है तथा जो कानूनी रूप से भी मान्य होगी। इसलिये, राज्य में किसी नगर निगम का गठन करने हेतु, पूर्व जनगणना तथा वर्तमान समय के बीच की अवधि के दौरान किसी क्षेत्र की आबादी में हुई बढ़ौतरी को मध्यनजर रखते हुये, जनसंख्या की गणना करने के लिये, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप–धारा 2 के परन्तुक में वर्तमान जनसंख्या का प्रावधान करने व वर्तमान जनसंख्या की गणना करने के लिये 'उदाहरण' जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3 में वर्णित प्रावधानों अनुसार सरकार, समय–समय पर, अधिसूचना द्वारा किसी पालिका को ग्रामीण क्षेत्र सहित या उसके कुछ भाग को सम्मिलित करके, जिसकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक हो, निगम घोषित कर सकती है, जिसे नगर निगम के रूप में जाना जायेगा। सरकार उसमें से किसी क्षेत्र को सम्मिलित करने या बाहर करने के लिये भी शक्तियां रखती है। परन्तु हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 8 में वर्णित प्रावधानों, जिसके अनुसार राज्य सरकार किसी नगर पालिका को भंग कर सकती है, के समान हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में विशेष प्रावधान नहीं है। महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा इस सम्बन्ध में राय दी गई है कि हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 8, जो राज्य सरकार को किसी नगर पालिका को भंग करने की शक्तियां प्रदान करती है, के समान हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में भी प्रावधान किया जाये। इसलिये, आवश्यकता अनुसार किसी नगर निगम को भंग करने की शक्तियां राज्य सरकार को प्रदान करने हेतु, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में प्रावधान करने के लिये अधिनियम की धारा 3 के पश्चात धारा 3क जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 27 दिसम्बर, 2018.

आर० के० नांदल,
सचिव।